


09th
23

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप।
वकुल अपर्णी ने प्रकरण में वर्णित भूमि वाली के खसरा
नं. 2278 खसरा.0862 आवासीय प्रयोजनार्थ
रूपान्तरण हो जाने की पुष्टि में जमाबंदी की प्रति पेश की।
जमाबंदी में दर्ज इन्फार्म के अनुसार प्रकरण में वर्णित भूमि
आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होकर नगरपालिका वाली
के नाम दर्ज होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रकरण में
वर्णित कृषि भूमि को रद्द कर वर्तमान में आवासीय प्रयोजनार्थ
रूपान्तरित भूमि है। जिससे प्रकरण में धारा 177 टीनिन्सी
एक्ट के तहत कार्यवाही जारी रखना - आवश्यक नहीं होने
से प्रकरण में कार्यवाही शूट की जाती है। पत्रावली
कीसल नुमांर होकर नम्बर से कम है।


उपस्थित अधिकारी
वाली, जिला-पाली (राज.)